न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वद सं0 एम0 45/2021 –2022
धारा 144 द0प्र0स0

मुनी देवी बगैरह ..... प्रथम पक्ष
बनाम
प्रदुमन सिंह बगैरह..... द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	2
1 29/4/22	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, पालकोट के अप्राथमिकी सं0 02/2022 दिनांक 08/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) मुनी देवी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 तिलकमैन नायक (2) बजरंग नायक उम्र 25 वर्ष पिता तिलकमैन नायक दोनो ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) प्रदुमन सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 अमीन सिंह (2) शशि कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष पिता पदुमन सिंह (3) जगेश्वर सिंह उम्र 30 वर्ष पिता स्व0 भीमकरण सिहं तीनो ग्राम लिटिम डीपाटोली बाजरटांड नियकर महेन्द्र डाक के बगल में थाना पालकोट (4) लाल सिंह उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 मनराज सिंह ग्राम मतरडेगा थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा पालकोट के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 4100 रकबा 0.42, 0.25 एकड़ भूमि में प्रथम पक्ष हिस्से की भूमि को द्वितीय पक्ष बेचने एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा दखल करने को लेकर विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना है जिसके कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन होने की सम्भावना को लेकर थाना प्रभारी पालकोट के द्वारा उभय पक्षो के बीच शांति बनाये रखने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 144 उक्त वादगत भूमि में लागू करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार हैः– **प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल लिखित जवाब :–** प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष मुनी देवी के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया गया है, वादगत जमीन अन्तर्गत मौजा– पालकोट खाता सं0 28 प्लॉट न0 4100 रकबा 2 एकड़ 13 डी0 जमीन मुनी देवी पति–स्व0 तिलकमैन नायक के पुर्वजों की खतियानी जमीन है वादगत जमीन आर0एस0 सर्वे रिकोर्ड में खैरू घांसी के नाम कायमी दर्ज है। उसके बाद प्रथम पक्ष मुनी देवी के पति तिलकमैन नायक उतराधिकारी दाखिल खारिज करा कर दखल में आये वादगत जमीन का उतराधिकारी दाखित खारिज कर सरकार को लगान अदा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के जमीन को द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के हड़पना चाहते है और जबर्दस्ती खेती करने के लिए उतारू है। द्वितीय पक्ष प्रश्नगत जमीन को लेकर प्रथम पक्ष पर कभी भी जान लेवा हमला कर सकते है।	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

प्रथम पक्ष शांतिप्रिय व्यक्ति है। और इसके तरफ से शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरान्त परिस्थिति एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम पक्ष के हित विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया जाय जिसके लिये प्रथम पक्ष श्रीमान का हमेशा के लिये आभारी रहेगी।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात :–

(1) खतियान की छाया प्रति।
(2) शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
(3) ऑनलाईन रशीद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित जवाबः–

यह कि विपक्षीगण के विरूद्ध लाया गया यह वाद गलत व गैरकानूनी है इसलिए यह वाद विपक्षीगण के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण के द्वारा आवेदकों के हक या सरोकार में किसी प्रकार अतिक्रमण या दखल करने का प्रयास नहीं किया गया है। विवादित जमीन मौजा पालकोट के खाता सं0–28, प्लॉट सं0– 4100, रकबा 2.13 एकड़ जमीन आर0एस0 खतियान में खैरू घांसी वल्द खुडू घांसी कौम घांसी के नाम कायमी दर्ज है।

खैरू घांसी की वंशावली निम्न है–

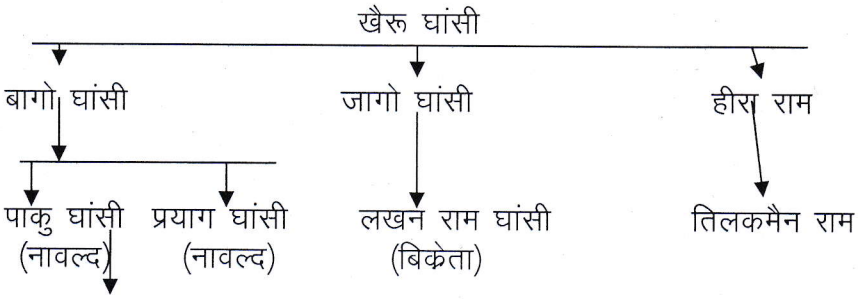

खतियानी रैयत खैरू घांसी के (1) बागो घांसी (2) जागो घांसी और (3) हीरा राम तीन पुत्र हुए और तीनों पुत्रों के बीच आपसी बंटवारा के बाद वे सभी अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए। बागो घांसी के (1) पाकु घांसी और (2) प्रयाग घांसी दो पुत्र हुए और दोनों भाई बागो घांसी के हिस्से की जमीन आपस में बंटवारा कर लिए, परन्तु प्रयाग घांसी के नावल्द हो जाने के कारण उसके हिस्से की जमीन पर पाकु घांसी दखलकार हुआ और पाकु घांसी के मरने के बाद उनकी पत्नी भुखली देवी हकदार होने कारण दखलकार हुई। भुखली देवी ने अपने हिस्से की उक्त जमीन को लखन राम घांसी वल्द जागो घांसी के पास दिनांक 20.02.1991 को रजिस्ट्री पट्टा संख्या–492/91 के द्वारा बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया। भुखली देवी से जमीन खरीदने के बाद लखन राम घांसी के नाम अंचल कार्यालय से शुद्धि पत्र निर्गत किया गया और मालगुजारी रसीद भी कट रहा है। उपर वर्णित जमीन को लखन राम घांसी ने अपने 0.42 एकड़ अमीन सिंह को और 0.25 एकड़ जमीन लाल सिंह व राम सिंह को रजिस्ट्री पट्टा संख्या क्रमशः 1219/1187 और 1230/1188 दिनांक 07.06.1994 के माध्यम से विक्री कर दिये। जिसका अंचल कार्यालय से शुद्धि पत्र निर्गत हुआ इसके बाद मालगुजारी रसीद भी अमीन सिंह और लाल सिंह व राम सिंह के नाम से कट रहा है।

उपर विर्गत जमीन के खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 4100 (नया)/6157 (पुराना) रकबा 2.13 एकड़ में से अपने हिस्से और खरीदी गयी जमीन के 1.06 एकड़ में से सिर्फ 0.67 एकड़ जमीन की ही लखन राम घांसी ने बिक्री की है इसलिए आवेदकों का विरोध बिल्कुल नाजायज है। लखन राम घांसी उपर वर्णित खतियान के 2.13 एकड़ में 0.17 एकड़ का हिस्सेदार होता है और लखन राम घांसी ने विपक्षियों को सिर्फ 0.67 एकड़ की ही बिक्री की है। ऐसे में प्रथम पक्ष के हिस्से को इस बिक्री से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लखन राम घांसी ने अपने हक की जमीन बिक्री की है

इसलिए पिता द्वारा बेचे गए जमीन पर उनके पुत्रों या वारिशानों का इस पर अधिकार जताना बिल्कुल नाजायज है। तिलकमैन राम की पुत्री व पुत्र के द्वारा अपने बड़े पिता के द्वारा बिक्री की गयी जमीन पर उठाया गया आपत्ति बिल्कुल गलत है व न्यायसंगत भी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में सरकार बनाम सालखन मुर्मू के जनहित याचिका के दिनांक 25.01.2012 झारखण्ड सरकार के द्वारा घांसी जाति के जमीन की बिक्री 01.03.2012 के फैसले के पूर्व सामान्य जाति के जमीन की तरह बिक्री हो रही थी।

घांसी जाति के जमीन की बिक्री पर रोक पूर्व ही अमीन सिंह और लाल सिंह व राम सिंह ने लखन राम घांसी से रजिस्ट्री पट्टा के माध्यम से खरीद और बिक्री पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। विपक्षीगण कानून का सम्मान करने वाले और शांति प्रिय व्यक्ति है।

आवेदकों के द्वारा भूमि–माफियाओं के प्रभाव में आकर कथित रूप से यह विवाद लाया गया है जो विचार करने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि विपक्षीगण में हित में वाद को स्थिर करते हुए न्यायहित में आवेदकों को उपर वर्णित जमीन पर जाने से रोक लगाने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातः–

(1) खतियान की छाया प्रति।
(2) रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
(3) नामांतरण की छाया प्रति।
(4) लगान रसिद की छाया प्रति।

उक्त वाद में उभय पक्षो के द्वारा दाखिल जवाब, कागजात एवं पुलिस जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाद्गत भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 4100 रकबा 0.42, 0.25 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त भूमि के कुछ भाग में द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण को लेकर वाद लाया गया है। उक्त वाद्गत में उभय पक्षो के द्वारा दाखिज लिखित जवाब, भूमि संबंधी कागजात एवं बहस के अवलोकन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष में पहूँचता हूँ कि उक्त वाद्गत भूमि के खतियानी रैयत के वंशज स्व0 पाकु घांसी की पत्नि मो0 मुखली देवी ग्राम पालकोट के द्वारा अपने हिस्से की दखल भूमि को लखन राम घांसी, पिता स्व0 जागो घांसी, ग्राम पालकोट को विक्री कर दिये। वाद्गत भूमि को लखन राम घांसी के द्वारा खरीद कर दखल में आये और अंचल पालकोट से दाखिल खारिज करा कर लगान रसिद अदा करते रहे। उक्त वाद्गत भूमि को लखन राम घांसी के द्वारा उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पिता अमीन सिंह, पिता करम सिंह, ग्राम पालकोट को बिक्री पट्टा के माध्यम से बिक्री कर दिये। अमन सिंह भूमि में दखल में रह कर अंचल पालकोट से दाखिल खारिज कराकर लगान रसिद कटाते आ रहे है एवं शांति पूर्वक दखलकार रहे है।

अतः वाद्गत भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 4100 रकबा 0.42, 0.25 एकड़ भूमि में द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.08.24 13:30:15 +05:30
Location: 192.168.1.6